

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

15/03/2022

पत्रावली पेश हुई। प्राथी अधिवक्ता  
इपस्थित। प्राथी अधिवक्ता ने  
एक अधीना - पत्र उस्तुत कट  
निवेदन किया कि उक्त उक्त  
निस्तारित ही लुका ही इसलिये  
उक्त पत्रावली में आगे कार्यवाही  
नहीं चलाना चाहते हैं। वकील  
प्राथी ने भविष्य में उक्त सम्बन्ध  
में तथा अधीना - पत्र उस्तुत  
के अधिकार की सुरक्षित रखते  
हुए खासियत जल भागा जर्ब/भूत  
वकील प्राथी आगे पत्रावली की  
वारी नहीं रखने के कारण पत्रावली  
की अन्तिम निरी खासियत किया  
जाता है। पत्रावली में लाल शुमार  
होकर नम्बर ही कम काखिल  
दफ्तार ही।

जिला न्यायाधीश  
1505-1506/2022

(सुमित्रा पारीक)

उपखण्ड अधिकारी  
बावड़ी जिला-जोधपुर

